

an>

Title: Introduction of the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019.

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2012 को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.”

The motion was adopted.

DR. VIRENDRA KUMAR: Madam Speaker, I introduce the Bill.

माननीय अध्यक्ष : बिल इंट्रोड्यूज तो होने दें।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): अध्यक्ष जी, हमने नोटिस दिया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने ऐसा कोई कारण नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

